स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 156, दिनांकः 20–05–2025

मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ के विभिन्न कोर्सो की फर्जी डिग्रियॉ व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 19–05–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ के विभिन्न कोर्सो (बी0ए0, बी0एड0, बी0ए0–एलएलबी, फार्माशिस्ट, बी0टेक0 आदि) की फर्जी डिग्रियॉ व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले गिरोह के 01 और सदस्य को हरियाणा से फर्जी प्रपत्र बनाने की मशीनरी एवं भारी मात्रा में कागजात के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– राजेश पुत्र मोहन निवासी मुकेश कालोनी, थाना बल्लभगढ़, जनपद फरीदाबाद। (हरियाणा)

बरामदगीः–

1– 957 अदद ब्लैंक मार्कशीट मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़।
2– 223 ब्लैंक सर्टीफिकेट मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़।
3– 575 अदद ब्लैंक प्रोविजनल सर्टीफिकेट मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़।
4– 02 अदद प्रिन्टर।
5– 06 अदद प्रिन्टर टोनर।
6– 01 बण्डल मोनोग्राम सील रिवन।
7– 01 अदद कम्प्यूटर।
8– 49 अदद तैयार फर्जी मार्कशीट मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

हाई स्ट्रीट 81 माल फरीदाबाद हरियाणा। दिनांक 19–05–2025 समय 11.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को पूर्व में शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, कि मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड के विभिन्न कोर्सो की फर्जी डिग्रियॉ व मार्कशीट बनाने का काम चल रहा है। इस सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 18–05–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा मोनाड विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले गिरोह के सरगना एवं चेयरमैन चौधरी विजेन्द्र सिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह हुड्डा सहित 10 अभियुक्तों को भारी मात्रा में फर्जी मार्कशीट, डिग्रियॉ, माइग्रेशन आदि प्रपत्रों के साथ गिरफ्तार जेल भेजा गया था। गिरफ्तार अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ संदीप सेहरावत ने पूछताछ पर बताया था कि वह हरियाणा में मोनाड विश्वविद्यालय की बी0एड0, बी0ए0, बी0ए0 एल0एल0बी0, फार्माशिस्ट, बी0टेक0 आदि की फर्जी मार्कशीट व डिग्रियां विश्वविद्यालय के चेयरमैन विजेन्द्र सिंह हुड्डा के कहने पर छापता है। इस काम में उसका सहयोगी राजेश भी रहता है। ये लोग प्रत्येक कोर्स के हिसाब से डिग्री व मार्कशीट के अनुसार 50 हजार से 04 लाख रूपये तक प्रति छात्र लेते है।

पूछताछ से प्राप्त जानकारी के क्रम में अभियुक्त राजेश के गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि राजेश हरियाणा में छिपे होने की सूचना पर एसटीएफ द्वारा हाई स्ट्रीट माल फरीदाबाद हरियाणा से अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त राजेश ने पूछताछ पर बताया कि वह संदीप सेहरावत के साथ मिलकर मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ की फर्जी मार्कशीट, डिग्रियॉ, माइग्रेशन आदि प्रपत्र छापने का काम करता है। दिनांक 17—05—2025 को भारी मात्रा में फर्जी मार्कशीट मोनाड विश्वविद्यालय में पहुॅचाया था। जब इसे जानकारी हुई कि इसका साथी संदीप सेहरावत हापुड़ से गिरफ्तार हो चुका है, तो यह भी इधर—उधर छिपकर रह रहा था। दिनांक 19—05—2025 को इसके प्रिन्टिंग आफिस में प्रिन्ट मोनार्ड विश्वविद्यालय, हापुड़ की निर्मित/अर्धनिर्मित फर्जी मार्कशीट, डिग्रियॉ, माइग्रेशन आदि प्रपत्र को यहॉ से हटाने के लिए आया हुआ था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19—05—2025 को अभियुक्त राजेश के प्रिन्टिंग आफिस से बरामद उपरोक्त मार्कशीट, डिग्रियॉ, प्रोविजनल सर्टीफिकेट पर अभ्यर्थियो के नाम एवं अन्य विवरण का स्थान रिक्त है, जबकि प्रपत्र निर्गतकर्ता एवं अन्य पदो के स्थान पर पहले से ही हस्ताक्षर बना हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना पिलखुआ, हापुड़ में मु0अ0सं0 290/2025 धारा 318(4), 336, 336(3), 340(1), 340(2) 111 बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।